कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक– 3812 / 14–1 दिनॉक, हरदोई, 12-04- 2018।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0,
क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतास 'के' ट्रीडेन्ट द्वितीय तल,
10 महाराणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः– **जनपद–हरदोई में राजमार्ग सं0–38 (बिलग्राम–उन्नांव–इलाहाबाद) कि0मी0 00–21.00 व राजमार्ग सं0–21(बिलरायॉ–पनवारी मार्ग) कि0मी0–174 से 199.00 तक कुल दूरी 46.00 कि0मी0 के मध्य रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 द्वारा संरक्षित मार्ग पटरी पर 0.4848 हे0 वन भूमि पर ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– 1–आन लाइन **Proposal No- FP/UP/Others/31676/2018** दिनॉक–03–02–2018।
2–इस कार्यालय पत्रॉक–3080 / 14–1, दिनॉक–26–02–2018।
3–इस कार्यालय पत्रॉक–3171 / 14–1, दिनॉक–07–03–2018।
4–इस कार्यालय पत्रॉक–3462 / 14–1, दिनॉक–24–03–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो के कम मे आपने अपने पत्र दिनॉक–06–04–2018 द्वारा विन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी आख्या का प्रति उत्तर निम्न प्रकार हैः–

1– वन विभाग एंव आपके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि दिनॉक–07–04–2018 को संयुक्त निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगे का उल्लेख किया गया है, परन्तु उक्त तिथि को आपका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही हुए। क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरदोई मो0 नं0–7839434504 एंव क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिलग्राम मो0 नं0–7839434508 से सम्पर्क कर रिर्पोट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

2– भारत सरकार के शासनादेश सं0–एफ0 नं0–11–09 / 98–एफ0सी0 दिनॉक–28–10–2014 मे उल्लिखित विन्दुवार दिशा निर्देश के तहत वन अधिकार अधि0 2006 के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध मे शिथिलता प्रदान की गयी है। प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर केबिल लाइन जिस ग्रामसभा से होकर गुजर रही है, सम्बन्धित ग्राम सभॉओ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

3– वन अधिकार अधि0 2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी, हरदोई के स्तर पर लम्बित होने का उल्लेख किया गया है। प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे वचनबद्वता मान्य नही है। जिलाधिकारी, हरदोई के स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव पुनः इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभिलेख / प्रमाण पत्र 05 प्रतियो मे इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकेः–

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग
हरदोई।

E:\OFC Line\RJIL Project SH-21&38.doc

पत्रॉक—................/उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

2—उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरदोई एंव सण्डीला।

3—क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरदोई एंव बिलग्राम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि याचक विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्पर्क करने पर तत्काल स्थल/मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर रिर्पोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग
हरदोई।

E:\OFC Line\RJIL Project SH-21&38.doc